पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

कुलपति सम्मेलन में लिये गये निर्णय

लखनऊः 11 जनवरी, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में 9 जनवरी, 2016 को आयोजित कुलपति सम्मेलन में उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने और गुणवत्ता प्रदान करने की दृष्टि से निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। भ्रष्टाचार के आरोप में एक कुलपति एवं एक कुलसचिव को निलम्बित करके उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। सभी विश्वविद्यालय पारदर्शिता एवं निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा है कि कुलाधिपति से अपनी समस्याओं के संबंध में सभी पत्राचार उचित माध्यम से ही प्रस्तुत किये जायें। इससे जहां एक ओर अनुशासनहीनता पर अंकुश लगेगा तो वहीं संबंधित प्रकरण कुलपति के संज्ञान में भी रहेगा।

श्री नाईक ने बैठक में यह भी निर्णय लिया कि बिना अनुमोदन प्राप्त चलाये जा रहे पाठ्यक्रम बंद कराये जाये जिससे भविष्य में छात्रों को परीक्षाओं से वंचित न होना पडे। विश्वविद्यालय इस बात पर गम्भीरता से ध्यान दें कि परिनियमों में बिना प्राविधान एवं अध्यादेशों के अनुमोदन के बगैर नये पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लिये जाये। उन्होंने कहा है कि चांसलर एवार्ड के मापदण्ड तय करने के लिये कमेटी गठित करके निर्णय लिये जायेगें।
राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अनेक पद रिक्त हैं। रिक्त पदों के कारण नैक मूल्यांकन प्रभावित हो रहा है। रिक्त पदों को भरने के लिये विश्वविद्यालय अपने स्तर से शासन से समन्वय करके शीघ्र कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नीतिगत विषयों पर विश्वविद्यालय अधिनियम में प्राविधान न होने पर शासन से सम्पर्क किया जाये।

श्री नाईक ने कहा कि कार्य परिषद की बैठक की विधिवत रिकार्डिंग कराई जाये, जिससे विरोधाभास की स्थिति न हो। राजभवन में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय और कार्यवृत्त में एकरूपता नहीं है। महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिये 'कामन प्रोग्राम' तैयार करके आनलाइन सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार किया जाये। अंकतालिका एवं डिग्री की पहचान के लिए 'बार कोड' का प्रयोग किया जाए।

बैठक में ई-गर्वेनेन्स पर चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उच्च शिक्षा विभाग के नेतृत्व में काॅमन साफ्टवेयर एप्लीकेंशन पर कार्य किया जाय। सभी विश्वविद्यालय अपना-अपना डाटाबेस तैयार करने के लिये सरकारी एजेन्सी एनआईसी से सहयोग लें। सभी विश्वविद्यालय अपनी-अपनी वेबसाइट को दुरूस्त करके सही जानकारियों के साथ संचार माध्यमों के लिंक अनिवार्यता से प्रदर्शित करें तथा डेडलिंक्स को तत्काल हटाया जाय। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कुलाधिपति का प्रमाणित बायोडाटा एवं चित्र का ही उपयोग किया जाय। न्यायालय में चल रहे वादों की जानकारी आनलाइन दी जाये। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने के लिये उचित व्यवस्था की जाय। स्टाफ और छात्रों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कुलपति मिलने का समय निश्चित करें। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव सत्र की शुरूआत में कराये जाये जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

कुलपतियों के सम्मेलन में प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा श्री अमृत मोहन प्रसाद, विशेष सचिव उच्च शिक्षा श्री पी0के0 पाण्डेय, विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा श्री शिवाकांत द्विवेदी, विशेष सचिव पशुपालन श्री चन्द्रकांत पाण्डेय, विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री अरिन्दम भट्टाचार्या सहित शासन के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।